

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1026 द्वारा माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह  
कुशवाह जिला—भिण्ड, सत्र—जुलाई 2016

प्रश्न 1026 के अंतर्गत प्रश्नांश क, ख, ग एवं घ अंतर्गत चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:—

- (क) कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 1075 दि. 07.05.16 द्वारा 02 नग हेण्डपम्प खनन का कार्य दिया गया। इस कार्य हेतु राशि का आवंटन दि. 24.03.16 को प्राप्त हुआ जो दि. 31.03.16 को म. प्र. शासन के वित्तीय नियमों के अंतर्गत लेप्स हो गई। कार्य का देयक दि. 16.05.16 को प्राप्त हुआ, किन्तु राशि उपलब्ध न होने से भुगतान नहीं हुआ। वित्त विभाग के निर्देशों के अंतर्गत राशि का आहरण किया जाकर डिपॉजिट में रखना प्रतिबंधित है।
- (ख) कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 305 दि. 19.02.16 द्वारा 02 नग हेण्डपम्प खनन का कार्य दिया गया। 01 हेण्डपम्प का कार्य मार्च में पूर्ण होने पर देयक का भुगतान किया गया। कार्य हेतु राशि का आवंटन दि. 24.03.16 को प्राप्त हुआ जो दि. 31.03.16 को म.प्र. शासन के वित्तीय नियमों के अंतर्गत लेप्स हो गई। वित्त विभाग के निर्देशों के अंतर्गत राशि का आहरण किया जाकर डिपॉजिट में रखना प्रतिबंधित है।
- (ग) कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 307 दि. 19.02.16 द्वारा हेण्डपम्प खनन हेतु कार्यादेश दिया गया। इस कार्य हेतु राशि का आवंटन दि. 24.03.16 को प्राप्त हुआ जो दि. 31.03.16 को म. प्र. शासन के वित्तीय नियमों के अंतर्गत लेप्स हो गई। कार्य ठेकेदार ने दि. 11.07.16 को पूर्ण किया गया किन्तु आवंटन लेप्स हो जाने से भुगतान नहीं किया जा सका। वित्त विभाग के निर्देशों के अंतर्गत राशि का आहरण किया जाकर डिपॉजिट में रखना प्रतिबंधित है।
- (घ) कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 309 दि. 19.02.16 द्वारा 02 नग हेण्डपम्प खनन का कार्यादेश दिया गया। कार्य के 01 पूर्ण हेण्डपम्प के देयक का भुगतान कार्य मार्च में पूर्ण हो जाने से दि. 21.03.16 को किया गया। कार्य हेतु राशि का आवंटन दि. 24.03.16 को प्राप्त हुआ जो दि. 31.03.16 को म.प्र. शासन के वित्तीय नियमों के अंतर्गत लेप्स हो गई। वित्त विभाग के निर्देशों के अंतर्गत राशि का आहरण किया जाकर डिपॉजिट में रखना प्रतिबंधित है।